भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1149
सोमवार, 26 जुलाई, 2021/4 श्रावण, 1943 (शक)

शहर में बेरोजगारी का संकट

1149. श्री अभिषेक बनर्जीः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महामारी से उबरने की प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में बेरोजगारी के संकट को कम करने के लिए मंत्रालय द्वारा कोई कदम उठाया गया है;
(ख) क्या सरकार की शहरी बेरोजगारी संकट के समाधान के लिए ग्रामीण क्षेत्र की एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए (मनरेगा) के तर्ज पर शहरी रोजगार योजना शुरू करने की योजना बना रही है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): भारत सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान देश में रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देने हेतु अनेक कदम उठाए हैं। "आत्म निर्भर भारत" के तहत अन्य बातों के साथ-साथ प्रवासी कामगारों, संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सत्ताईस लाख करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय पैकेज आरंभ किया है। इसमें इन सभी क्षेत्रों हेतु अनेकों पहलें शामिल हैं।

सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार की पुनःबहाली हेतु 01 अक्तूबर, 2020 से आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) प्रारंभ की गई है। ईपीएफओ द्वारा कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। एबीआरवाई के तहत, भारत सरकार दो वर्ष की अवधि हेतु ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की कर्मचारी संख्या के आधार पर, उन नए कर्मचारियों हेतु, जिनका मासिक वेतन 15000/- रुपए प्रतिमाह से कम है, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ताओं के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान वहन कर रही है। योजना के तहत नए कर्मचारियों में वे कर्मचारी शामिल हैं जिन्होंने कोविड-19 के दौरान अपना रोजगार गंवा दिया तथा जो 30.09.2020 तक ईपीएफ से कवर किसी प्रतिष्ठान में भर्ती नहीं हुए।

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत, भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत नियोक्ताओं के 12% अंशदान और कर्मचारियों के 12% के अंशदान-दोनों का योगदान किया है जो कि 100 कर्मचारियों तक रखने वाले प्रतिष्ठानों के 90% ऐसे कर्मचारियों, जो 15000/- रुपए से कम अर्जित करते हैं, के लिए मार्च से अगस्त, 2020 के वेतन माह हेतु मजदूरी का कुल 24% है। इससे कोविड पश्च अवधि के दौरान ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों में रोजगार प्रदान कराने में सहायता मिली है।

नियोक्ता और कर्मचारी-दोनों का सांविधिक पीएफ अंशदान ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए तीन माह के लिए अर्थात् मई से जुलाई, 2020 तक मौजूदा 12% से घटाकर 10% कर दिया गया।

प्रधान मंत्री स्व-निधि योजना ने रेहड़ी-पटरी वालों को फिर से अपना व्यापार शुरू करने में सहायता के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रु. तक का गैर-जमानती कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने को सरल बनाया है।

आरबीआई एवं भारत सरकार ने बाजार अर्थव्यवस्था को बनाए रखने एवं रोजगार के स्तर को बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए उपायों की शुरूआत की है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय करने जैसे विभिन्न अन्य कदम उठाए हैं। एमजीएनआरईजीएस के तहत वेतन को 182 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 202 रु. प्रति दिन कर दिया है।

सरकार द्वारा स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

नए रोजगार का सृजन करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य पूर्व में प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) को आरंभ किया गया था। इस योजना के तहत, भारत सरकार ईपीएफओ के माध्यम से 15000/- रुपए तक अर्जित करने वाले नए कर्मचारियों हेतु **3** वर्षों हेतु नियोक्ता के अंशदान अर्थात् 12% का भुगतान कर रही है। प्रतिष्ठान के माध्यम से लाभार्थी के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2019 थी। 31 मार्च, 2019 तक पंजीकृत लाभार्थियों को इस योजना के तहत पंजीकरण की तिथि से तीन वर्षों अर्थात् 31 मार्च, 2022 तक लगातार लाभ प्राप्त होगा।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारे जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय एक धारणीय आधार पर शहरी निर्धन परिवारों की निर्धनता और भेद्यता को कम करने के लिए देश भर में "दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)" नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। मिशन का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, शहरी निर्धनों को लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में सक्षम बनाना है। साथ ही, शहरी निर्धनों के व्यक्तियों/समूहों/स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को लाभकारी स्वरोजगार उद्यम या सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

*****